2009 का विधेयक संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 14 का सशोधन.––**हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 14 में विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित द्वितीय परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः––

> ''परन्तु यह और कि वन भूमि सहित सरकारी भूमि पर अधिक्रमण से सम्बन्धित किसी अपील का निपटारा, उसके फाइल करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।''।

3. **धारा 138 का प्रतिस्थापन.––**मूल अधिनियम की धारा 138 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः––

> ''138. अधिकारी जिसे इस अध्याय के अधीन कार्यवाही करने हेतु सशक्त किया जा सकेगा––(1) राजस्व अधिकारी, जिसके द्वारा इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की जा सकेगी, दोनों में से किसी भी श्रेणी का ऐसिस्टैंट कलक्टर होगा।
>
> (2) धारा 129 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब किसी भी संपत्ति, जिसका विभाजन वांछित हो, में हक के बारे में प्रश्न हो तो ऐसे हक के प्रश्न का अवधारण ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो इस अध्याय के अधीन ऐसिस्टैंट कलक्टर प्रथम श्रेणी से नीचे की पंक्ति का न हो।''।

4. **धारा 163 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 163 में––

(क) उप धारा (1) में––

(i) खण्ड (क) में ''आदेश द्वारा'' शब्दों के पश्चात् ''यथास्थिति, संज्ञान लेने की तारीख से या ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन को फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर, तथापि, अवधि, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, और तीन मास तक बढ़ाई जा सकेगी'' शब्द और चिन्ह, अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ग) में, ''दो हजार शब्दों के स्थान पर बीस हजार या भूमि का प्रचलित बाजार मूल्य जो भी अधिक हो'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा (2) में, ''पांच हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस हजार रुपए या भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य का दुगना, जो भी अधिक हो'' शब्द और चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 14 राजस्व अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध विभिन्न राजस्व प्राधिकारियों (अॅथारटीज) को अपीलें फाइल करने के लिए उपबंध करती है, परंतु इसमें ऐसी कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा नहीं दी गई है, जिसके भीतर ऐसी अपीलें विनिश्चित की जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने भी श्री योगिन्द्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य शीर्षक से सीआर.एम.पी. (एम) संख्या 1299/2008 में यह संप्रेक्षण किया है कि अधिक्रमण के मामलों का विनिश्चय करने हेतु कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है और वन भूमि सहित सरकारी भूमि पर अधिक्रमण करने की लोगों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु अधिक्रमण के ऐसे मामलों का निपटारा कड़ाई से करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 138 ऐसे राजस्व अधिकारी, जो ऐसिस्टैंट कलक्टर प्रथम श्रेणी से नीचे की पंक्ति का न हो, को अधिनियम के अध्याय 9 के अधीन विभाजन के मामलों की कार्यवाहियां करने के लिए सशक्त करती है। राज्यभर में ऐसिस्टैंट कलक्टर पहली श्रेणी के पास, विभाजन के मामलों की बड़ी संख्या में लम्बित पड़े होने के दृष्टिगत, उन मामलों के सिवाए जहां हक का प्रश्न अंतर्वलित हो, यह आवश्यक समझा गया है कि, विभाजन के मामलों के लम्बित रहने को कम करने और ऐसे मामलों के निपटारे की गति को बढ़ाने के लिए, ऐसिस्टैंट कलक्टर, द्वितीय श्रेणी को भी कार्यवाहियां करने के लिए सशक्त किया जाए।

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 163 भूमि पर अधिक्रमण रोकने के लिए उपबंध करती है, परंतु ऐसी भूमि से अधिक्रमणकर्ता को बाहर करने हेतु कोई समय सीमा भी नहीं है तथा अधिक्रमण करने वाले पर लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा, अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत अपर्याप्त है। अतः वन भूमि सहित सरकारी भूमि पर अधिक्रमण के मामलों का सख्ती से निपटारा करने के लिए, यह आवश्यक समझा गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अधिक्रमण के मामलों का विनिश्चय करने हेतु समय सीमा नियत की जाए और अधिक्रमण करने वाले पर लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा भी बढ़ाई जाए। उपरोक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14, 138 और 163 का उपयुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला : **(ठाकुर गुलाब सिंह)**

तारीख :....., 2009 प्रभारी मन्त्री।

———————————

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

—————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

14. अपीलें.——इस अधिनियम में जहां अन्यथा व्यवस्था की गई हो उस को छोड़ कर माल अधिकारी के मूल अथवा अपील आदेश (Appellate order) पर निम्नलिखित के अनुसार अपील हो सकेगी:——

(क) जब किसी भी श्रेणी के एसिस्टैंट कलेक्टर ने आदेश दिया हो तो कलैक्टर के पास;

(ख) जब कलेक्टर ने आदेश दिया हो तो कमिश्नर के पास;

(ग) जब कमिश्नर ने आदेश दिया हो तो फाइनेन्शियल कमिश्नर के पासः परन्तु

(अ) यदि पहली अपील पर मूल आदेश पुष्ट हो जाता है तो आगे उस की अपील नहीं होगी;

(आ) यदि अपील पर कलेक्टर द्वारा ऐसा आदेश संपरिवर्तित अथवा प्रतिवर्तित कर दिया जाता है और कमिश्नर के पास अपील की जाती है तो ऐसी अपील पर, यदि कोई हो, कमिश्नर का निर्णय अन्तिम होगा।

138. अधिकारी जिनको कि इस अध्याय के अधीन कार्य करने का अधिकार है.——वह माल अधिकारी जिसके द्वारा, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जा सकती है, पहली श्रेणी के ऐसिस्टैंट कलैक्टर (Assistant Collector) से कम श्रेणी का माल अधिकारी नहीं होगा।

163. भूमि के अधिक्रमण की रोकथाम.——(1) जहां सरकारी भूमि या जो ग्राम के स्थान या सामान्य प्रयोजनों या सम्पदा अधिकार धारकों के प्रयोग या उनके सहभागीदारों के लिए आरक्षित की गई है, किसी व्यक्ति या सहभागीदारों द्वारा उसमें भवन के निर्माण या अन्य निर्मित या पौधरोपण द्वारा अधिक्रमण करता है, तब——

(क) राजस्व अधिकारी स्वप्रेरणा से या वृत के कानूनगो द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित वृत के पटवारी की रिपोर्ट पर या किसी सम्पदा अधिकार धारकों या सहभागीदार के आवेदन पर सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देने के पश्चात् विहित रीति में, आदेश द्वारा ऐसी भूमि से उसे बेदखल करेगा;

(ख) यदि अधिक्रान्ता, अधिक्रमित भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य निर्मिति या पौध रोपण करता है, वह विहित रीति में, सभी विलंगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित होगीः

परन्तु यह कि यदि भवन या निर्मिति और इसके संलग्न भवन भागतः अधिक्रान्ता की अपनी भूमि में और भागतः अधिक्रमण की गई भूमि पर स्थित है, तो राजस्व अधिकारी भवन या अधिक्रमण की गई भूमि पर निर्मिति को तोड़ने में सक्षम होगा यदि अधिक्रान्ता राजस्व अधिकारी द्वारा यथा आदेशित इसे तोड़ने में असफल रहता है; और

(ग) राजस्व अधिकारी अधिक्रान्ता के ऊपर प्रति बीघा या उसके किसी भाग के लिए दो हजार रुपए तक जुर्माना अधिरोपित करेगा, जो कि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया है पुनः ऐसे अधिभोग के लिए बिना प्राधिकार के भूमि का अधिभोग करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन यह कि कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि राजस्व अधिकारी जो कि सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा लिखित में रिपोर्ट नहीं की जाती।

(3) जब हक या प्रतिकूल कब्जे के बारे में ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें अधिक्रमण द्वारा उस भूमि की बाबत जिसमें इस धारा के अधीन बेदखली की गई है या की जानी है, तीस वर्ष से अधिक अवधि के कब्जे का दावा किया गया है, वहां माल अधिकारी जो ऐसिस्टैंट कलक्टर पहली श्रेणी की पंक्ति से नीचे का न हो प्रश्न को अवधारित करने की कार्यवाही करेगा मानों कि वह सिविल कोर्ट हो और ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सिविल कोर्ट द्वारा प्रयोक्तव्य है।

(4) उप–धारा (3) के अधीन प्रश्न के अवधारण के लिए, माल अधिकारी उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जो दीवानी न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचारण के लिए लागू है और वह निर्णय और डिक्री अभिलिखित करेगा जिसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी अपेक्षित है।

(5) उप–धारा (4) के अधीन माल अधिकारी द्वारा दी गई डिक्री की अपील डिस्ट्रिक्ट जज को होगी मानों कि वह डिक्री मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री हो।

(6) उप–धारा (5) के अधीन अपील पर डिस्ट्रिक्ट जज की अपीलीय डिक्री पर एक और अपील उच्च न्यायालय में केवल तभी होगी यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है।

(7) माल अधिकारी या इस धारा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध इसके उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.––इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा नियत अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है और जो अवधि के अवसान के पश्चात् भी भूमि पर कब्जा चालू रखता है, अधिक्रमणकर्ता समझा जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति पट्टे की अवधि में बढ़ौत्तरी या इसे नवीकृत नहीं करवा लेता है।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2009

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short Title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2009.

2. Amendment of section 14.—In section 14 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after existing proviso, the following second proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that any appeal relating to encroachment on Government land including forest land shall be disposed of within a period of three months from the date of filing thereof.".

3. Substitution of section 138.—For section 138 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"138. Officer who may be empowered to act under this Chapter.—(1) The Revenue Officer by whom proceedings may be taken under this Chapter shall be the Assistant Collector of either grade.

(2) Notwithstanding anything contained in section 129, when there is a question as to title in any of the property of which partition is sought, such question of title shall be determined by the Revenue Officer not below that of Assistant Collector of First Grade under this Chapter.".

4. Amendment of section 163.—In section 163 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1)—

(i) in clause (a), after the words "by order" the words and sign, "within six months from the date of taking of congnizance or from the date of receipt of such report or from the date of filing of such application, as the case may be, however, the period may further be extended upto three months for the reasons to be recorded in writing" shall be inserted.; and

(ii) in clause (c), for the figures and signs "2,000/-", the figures, signs and words "20,000/- or the prevalent market value of the land, whichever is higher" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (2), for the words "five thousand rupees", the words an sign "fifty thousand rupees or double the prevalent market value of the land, whichever is higher" shall be subsitituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 14 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) provides for filing of appeals against the orders of Revenue Officer to the different Revenue Authorities, but there is no specific time frame within which such appeals should be decided. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in Cr. M.P. (M) No. 1299/2008 titled as Shri Yoginder Singh vs. State of Himchal Pradesh has also observed that no time frame has been fixed to decide the cases of encroachment and such cases of encroachment are required to be dealt with sternly to curb the tendency of the persons to encroach upon the Government land including forest land. Further, section 138 of the Act *ibid* empowers the Revenue Officer not below that of Assistnat Collector of the First Grade to take proceedings in partition cases under Chapter IX of the Act. Keeping in view the pendency of large number of partition cases with the Assistant Collector First

Grade through out the State, it has been considering necessary to also empower Assistant Collector of Second Grade to take proceedings in partition cases, except those cases where question of title is involved, so as to reduce the pendency of partition cases and to speed up the disposal of such cases. Further, section 163 of the Act *ibid* provides for prevention of encroachment on lands, but there is also not any time frame fixed to eject the encroacher from such land and the quantum of fine to be imposed upon the encroacher is inadequate in view of the gravity of the offence. Thus, in order to deal with cases of encroachment upon Government land including forest land firmly, it is considered essential to fix the time limit within which cases of encroachment shall be decided by the Revenue Officers and also to increase the quantum of fine which can be imposed upon the encroacher. In view of the above, it has been decided to suitably amend sections, 14, 138, and 163 of the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(THAKUR GULAB SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The.....2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISTATION

-NIL-

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE ACT, 1954 (ACT NO. 6 OF 1954) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

14. Appeals.—Save as otherwise provided by this Act, an appeal shall lie from original or appellate order or a Revenue Officer as follows, namely:—

(a) to the Collector when the order is made by an Assistant Collector of either grade;

(b) to the Commissioner when the order is made by a Collector;

(c) to the Financial Commissioner when the order is made by a Commissioner:

Privided that—

(i) When an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie;

(ii) when any such order is modified reversed on appeal by the Collector, the order made by the Commissioner on further appeal, if any, to him shall be final.

138. Officers who may be empowered to act under this Chapter.—The Revenue Officer by whom proceedings may be taken under this Chapter shall be a Revenue Officer of a class not below that of Assistant Collector of the first grade.

163. Prevention of encroachment on lands.—(1) Where Government land or land which has been reserved for the site of the village or for common purposes or uses of the estate right holders or of the co sharers therein, has been encroached upon by any person or cosharers for any purpose including the construction of a building or other structures or by planting trees therein, then—

(a) the Revenue Officer may of his own motion or on the report of the patwari of the Circle duly verified by the Kanungo of the Circle or on the application of any estate right holder or co-sharers, after giving reasonable opportunity of being heard, shall eject him from such land by order, in the manner prescribed.

(b) if the encroacher has erected any building or other structure or has planted trees on the encroached land, the same shall, in the prescribed manner, vest in the State Government free from all encumbrances:

Provided that if the building or structure and attachments thereto are situated partly in the owned land of the encroacher and partly on the encroached land, the Revenue Officer shall be competent to demolish the portion of the building or structure on the encroached land if the encroacher fails to demolish it himself as ordered by the Revenue Officer; and

(c) the Revenue Officer shall impose upon the encroacher a fine upto Rs. 2,000/- per bigha or part thereof, which shall be recoverable, as if it were an arrear of land revenue.

(2) If a person who has been evicted from any land under this section again occupies the land without authority for such occupation, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both:

Provided that no court shall take cognizance under this sub-section of an offence unless a report in writing is made by a Revenue Officer not below the rank of Assistant Collector First Grade.

(3) When there is a question as to title or to the adverse possession, wherein the possession is claimed by an encroacher for a period beyond thirty years in relation to the land from which ejectment is made or is to be made under this section, the Revenue Officer, not below the rank of an Assistant Collector of the First Grade may proceed to determine the question, as if he, were a civil court and shall excrcise all such powers as are exercisable by a civil court.

(4) For the determination of the question under sub-section (3), the Revenue Officer shall follow the same procedure as is applicable to the trial of an original suit by a civil court, and he shall record a judgement and decree containing the particulars required by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to be specified therein.

(5) An appeal from the decree of the Revenue Officer made under sub-section (4) shall lie to the District Judge as if that decree were a decree of a Subordinate Judge in an original suit.

(6) A further appeal from the appellate decree of a District Judge upon an appeal under sub-section (5), shall lie to the High Court only if the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved.

(7) No suit or other legal proceeding shall lie against the Revenue Officer or any person acting under this section in respect of anything in good faith done or purported to have been done under the provisions thereof or the rules made thereunder.

Explanation.—For the pruposes of this section, any person who holds land under a lease granted by the government for a fixed term and continues to be in possession of the land beyond the expiry of the perod of lease shall be deemed to be an encroacher unless such person gets the lease extended or renewed.

———————